"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल 2007—चैत्र 12, शक 1929

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.) /पांच (22).—राज्य शासन द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.)/पांच-(99), दिनांक 21-12-2006 द्वारा "नया रायपुर" परियोजना हेतु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के पक्ष में निष्पादित निजी भूमि क्रय संबंधी लिखतों पर वर्ष 2006-07 के लिये स्टाम्प शुल्क से दिनांक 31-03-2007 तक छूट प्रदान की गई थी. राज्य शासन एतद्द्वारा स्टाम्प शुल्क में उपरोक्त छूट की अवधि को वर्ष 2007-08 के लिए दिनांक 01-04-2007 से 31-03-2008 तक वृद्धि करता है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.) /पांच (22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.) /पांच (22), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-112/2006/CT/(R)/V (22).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government has granted exemption in stamp duty chargeable on instruments executed in favour of "Naya Raipur Development Authority" relating to purchase of private land, under the "Naya Raipur" project upto 31-3-2007 for the year 2006-07 vide this department's Notification no. F-10-112/2006/CT/R/V/(99), dated 21-12-2006. The State Government hereby extends the above period of exemption in stamp duty from 01-04-2007 to 31-03-2008 for the year 2007-08.

2. this notification shall come into force with effect from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.